# <u>न्यायालय:—न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, चंदेरी जिला— अशोकनगर (म.प्र.)</u> (पीठासीन अधिकारी—आसिफ अहमद अब्बासी)

<u>दांडिक प्रकरण क.-17/2011</u> <u>संस्थित दिनांक-28.11.2011</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा	
आरक्षी केन्द्र पिपरई	
जिला अशोकनगर।	अभियोजन

#### विरुद्ध

- 1. नरेश पुत्र बाबूलाल शर्मा उम्र 53 साल
- 2. गुटटू उर्फ चित्रपाल सिंह पुत्र रणधीर सिंह यादव उम्र 42 साल निवासी ग्राम अमरोद जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

### —: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 22.06.2018 को घोषित)</u>

- 01— अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा—294, 323/34 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक—06.07.2011 को समय दिन के 10:00 बजे स्थान ग्राम अमरोद मंदिर के सामने लोक स्थल पर फरियादी टीकाराम को मां—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी टीकाराम को उपहित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी टीकाराम के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी टीकाराम तथा नरेश का जमीन पूर्व का विवाद है, दिनांक 06.07.2011 को टीकाराम दिन में 10:00 बजे ग्राम अमरोद में मंदिर से घर जा रहा था, तो गुट्टू ने टीकाराम को लाठी मारी, जो बाई आंख के ऊपर लगी चोट होकर खून निकल आया। शिवराज तथा नरेश ने टीकाराम की लातघूंसों से मारपीट की, जिससे शरीर पर मुंदी चोट आई। टीकाराम ने मारपीट के बारे में पूछा तो आरोपीगण मादरचोद और बहनचोद की गालिया देने लगे। टीकाराम के चिल्लाने पर नारायण सिंह और कप्तान सिंह और नरेन्द्र आ गये जिन्होने बीच बचाव किया। फरियादी टीकाराम द्वारा पुलिस थाना पिपरई में अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना पिपरई के अपराध क्रमांक 199/2011 अंतर्गत धारा— 323, 294, 34 भा0द0वि0 के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03— अभियुक्तगण को उनके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये

उन्होने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

04- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- 1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 06.07.2011 को समय दिन के 10 बजे स्थान ग्राम अमरोद मंदिर के सामने लोक स्थल पर फरियादी टीकाराम को मां बहन की अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित किया ?
- 2. ैक्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनाक, समय व स्थान पर फरियादी टीकाराम को उपहित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी टीकाराम के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की ?
- 3. दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

### -:: सकारण निष्कर्ष ::-

# विचारणीय प्रश्न कमांक 1, 2 और 3 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 05— अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में नरेन्द्र (अ०सा०—01), नारायण (अ०सा०—02) व कप्तान सिंह (अ०सा०—03) के कथन न्यायालय में कराये गये है। वहीं फरियादी सीताराम व साक्षी आशाराम अदम पता हो जाने के कारण अभियोजन उन्हें प्रकरण में साक्ष्य देने के लिये न्यायालय में उपस्थित रखने में असमर्थ रहा है। नरेन्द्र (अ०सा०—01), नारायण (अ०सा०—02) व कप्तान सिंह (अ०सा०—03) के द्वारा न्यायालीन कथनो में अभियोजन घ ाटना के समर्थन में कोई कथन नहीं दिये गये हैं, इन साक्षियों का कहना है कि उनके सामने कोई घटना नहीं हुई
- 06— नारायण (अ0सा0—02) व कप्तान सिंह (अ0सा0—03) के अनुसार फरियादी और आरोपीगण के बीच मारपीट की घटना की कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन के द्वारा इन साक्षियों को पक्षविरोधी कर उनका विस्तृत परीक्षण किया गया। जिसमें इन दोनों ही साक्षियों का यह तो कहना है कि पांच छः साल पहले फरियादी और आरोपीगण के बीच विवाद हुआ था परन्तु इन दोनों ही साक्षियों ने इस बात से इनकार किया है कि आरोपीगण ने उनके सामने टीकाराम की मारपीट की थी। इन साक्षियों का कहना है कि उन्होने पुलिस को कोई कथन नहीं दिया, और न ही वह घटना के समय मौजूद थें।

- 07— नरेन्द्र (अ0सा0—01) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि उसने सुना था कि शराब पीकर फरियादी टीकाराम ने ही नरेश और गटटू की मारपीट की थी, जिसके बाद गट्टू और नरेश ने टीकाराम की मारपीट की थी, परन्तु इस साक्षी का भी यह कहना है कि उसके सामने उक्त घटना नहीं हुई, इस साक्षी को भी अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी कर परीक्षण किये जाने पर परीक्षण में दिये गये कथनों में इस साक्षी का मात्र अभियोजन का समर्थन में यह कहना है कि उसने सुना था कि जमीन की बात को लेकर विवाद हुआ था, परन्तु यह बात भी उसने सुनी थी। इस साक्षी का भी स्पष्ट कहना है कि घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं था और न ही उसने घटना के संबंध में पुलिस को कोई कथन दिया।
- 08— प्रकरण में फरियादी टीकाराम व घटना का अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी आशाराम अदम पता हो जाने के कारण न्यायालय में साक्ष्य देने के लिये उपस्थित नहीं हुये, वहीं उपस्थित साक्षी नरेन्द्र (अ0सा0—01), नारायण (अ0सा0—02) व कप्तान सिंह (अ0सा0—03) अपने सामने फरियादी व आरोपीगण के मध्य कोई मारपीट की घटना न होना बताते हैं, तथा इन साक्षियों को मात्र विवाद होने की जानकारी किसी अन्य के बताये अनुसार है अर्थात् इन साक्षियों के अनुसार भी उनके सामने आरोपीगण के द्वारा फरियादी के साथ न तो गाली गलीच की गई और न ही मारपीट की कोई घटना कारित की गई थी, मात्र अनुश्रुत साक्ष्य के आधार पर जो कि इस संबंध में भी स्पष्ट नहीं है कि किसने किसके साथ मारपीट की थी, के आधार पर अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होते हैं।
- 09— प्रकरण में अभियोजन की ओर से फरियादी टीकाराम व आशाराम को साक्ष्य हेतु उपस्थित न रख पाना व उपस्थित साक्षियों के द्वारा अपने समक्ष घटना घटित होने से इन्कार करते हुये, अभियोजन का अपने न्यायालीन कथनों में लेशमात्र भी समर्थन न करने से आरोपित अपराध के संबंध में अभियुक्तगण के विरुद्ध अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
- 10— परिणाम स्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचना व साक्ष्य के अभाव में अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल नहीं हुआ है कि अभियुक्तगण ने दिनांक—06.07. 2011 को समय दिन के 10:00 बजे स्थान ग्राम अमरोद मंदिर के सामने लोक स्थल पर फरियादी टीकाराम को मां—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी टीकाराम को उपहित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी टीकाराम के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की।
- 11— फलतः <u>अभियुक्तगण नरेश पुत्र बाबूलाल शर्मा, गुटटू उर्फ चित्रपाल सिंह पुत्र</u> रणधीर सिंह यादव को भा.द.वि. की धारा 294, 323/34 के आरोप प्रमाणित न होने से उन्हें भा.द.वि. की धारा 294, 323/34 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।

# ( 4 ) <u>दांडिक प्रकरण क.- 17/2011</u>

12—अभियुक्तगण का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, चंदेरी जिला –अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, चंदेरी जिला —अशोकनगर (म.प्र.)